न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 08/2023

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी प्रतापनगर सदर, जोधपुर		शकील खां पुत्र जफर खां जाति मुसलमान निवासी म.न.103 पांचवी रोड, गीता भवन के पीछे ईदगाहरोड पु.थाना प्रतापनगर सदर जोधपुर व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार थानाधिकारी प्रतापनगर जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 13/2/26

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी प्रतापगर सदर जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी शकील खां पुत्र जफर खां जाति मुसलमान निवासी म.न.103 पांचवी रोड, गीता भवन के पीछे ईदगाह रोड पु.थाना प्रतापनगर सदर जोधपुर व अन्य के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 11 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा एक इलेक्ट्रोनिक मशीन, इलेक्ट्रोनिक कांटा मय नोजल व पाईप को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2023 को मुखबीर की सुचना पर सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर जोधपुर द्वारा गीता भवन के पीछे ईदगाह रोड पर आयशा वांशिग सेन्टर पर अचानक जांच की तो मौके पर उपस्थित व्यक्ति घरेलु गेस सिलेण्डर का उपयोग कर टैक्सी वाहन में गैस रिफलिंग करते हुए पाया गया। जिसका नाम पुछे जाने पर शकील खां पुत्र जफर खां जाति मुसलमान होना बताया तथा एक अन्य व्यक्ति टैक्सी चालक ने अपना नाम हारून रसीद पुत्र मोहम्मद युसुफ बताया। मौके पर तलाशी के दौरान इलेक्ट्रीक मशीन मोटर पर एक घरेलु गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी को ईलेक्ट्रोनिक

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

कांटा पर उल्टा रखा हुआ था जिसके नोजल पर लगा पाईप टैक्सी से जुडा हुआ पाया गया कुल 11 एचपी कम्पनी के सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित किये हुए पाये गये।

उक्त 11 सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रोनिक मशीन, इलेक्ट्रोनिक कांटा, नोजल व पाईप को जब्त कर जमा मालखाना किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व वाहनों में अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग किया जाना पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त कुल 11 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा से अप्रार्थी संख्या 01 को जारी नोटिस 128/13.06.2024 अप्रार्थी की बहन से तथा अप्रार्थी संख्या 02 को जारी नोटिस क्रमांक 19 दिनांक 27.01.2023 अप्रार्थी की पत्नि द्वारा तामिल होकर प्राप्त हुए। नोटिस तामिली उपरान्त भी अप्रार्थी आदिनांक तक अनुपस्थित है। प्रकरण में जब्तसूदा टैक्सी वाहन के स्वामी मोहम्मद ईशाक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वाहन रिलीज़ किया जा चुका है। जब्तसूदा सिलेण्डर एंव रिफलिंग सामग्री के संबध में अप्रार्थीगण स्वंय बावजूद सूचना न्यायालय में वक्त पेशी अनुपस्थित रहे। वक्त सुनवाई आवाज दी गई परन्तु अप्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार थानाधिकारी प्रतापनगर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण कर अवैध रूप से वाहनों में गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग लिए जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त कुल 11 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

"निर्णय"

हमने विभागीय पेरोकार की बहस सुनी तथा तथ्यों पर मनन करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार स्पष्ट है कि वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी शकील खां पुत्र जफर खां द्वारा उक्त 11 घरेलु गैस सिलेण्डरों का बिना वैद्य दस्तावेजों के अवैध भण्डारण कर एंव एक इलेक्ट्रोनिक

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

मशीन, इलेक्ट्रोनिक कांटा, नोजल व पाईप का उपयोग करते हुए टैक्सियों में अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया गया है। मौका फर्द अनुसार अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर उंचे दामों में गैस बेचना स्वीकार किया गया। रिफलिंग सामग्री का मौकास्थल पर टैक्सी एंव सिलेण्डर से जुडा हुआ पाया जाना स्पष्ट करता है कि उक्त जब्तसूदा सिलेण्डर एंव रिफलिंग सामग्री अप्रार्थी के स्वामित्व के है एंव उक्त का अवैध गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग हुआ है, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थी सरकार जरिये थानाधिकारी प्रतापनगर सदर जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा कुल 11 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा एक इलेक्ट्रोनिक मशीन, इलेक्ट्रोनिक कांटा मय नोजल व पाईप को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। थानाधिकारी प्रतापनगर सदर जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तसुदा कुल 11 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा एक इलेक्ट्रोनिक मशीन, इलेक्ट्रोनिक कांटा मय नोजल व पाईप का नियमानुसार निस्तारण करवाया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर